Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

भाग – 7

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

RAS

भाग-7

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	**संविधान सभा** • संविधान सभा की कार्य प्रणाली • उद्देश्य प्रस्ताव • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, के बाद परिवर्तन 1947 • संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य- • संविधान सभा की समितियां - • संविधान का प्रभाव में आना • संविधान सभा की आलोचना- • महत्वपूर्ण तिथियां - संविधान सभा से संविधान तक	1
2.	**संविधान की मुख्य विशेषताएँ** • भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां	5
3.	**प्रस्तावना** • प्रस्तावना के मूल तत्व • प्रस्तावना में प्रमुख शब्द • संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना	10
4.	**मौलिक अधिकार** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति • मौलिक अधिकारों की विशेषताएं • समानता का अधिकार अनुच्छेद)14-18) • स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद)19-22) • शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद)23-24) • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद)25-28) • संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अनुच्छेद)29-30) • संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद)32) • मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध • मार्शल लॉ सैनिक विधि)) और मौलिक अधिकार • संविधान के भाग III के बाहर के अधिकार • मौलिक अधिकारों के अपवाद • मौलिक अधिकारों का महत्व • मौलिक अधिकारों की आलोचना	13
5.	**राज्य नीति के निदेशक तत्व** • संवैधानिक प्रावधान • निदेशक सिद्धांतों की विशेषता • निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण • समाजवादी सिद्धांत • गांधीवादी सिद्धांत	39

	• उदारबौद्धिक सिद्धांत- • बाद में जोड़े गए नए निदेशक तत्व • निदेशक तत्वों की उपयोगिता • राज्य नीति के निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन • संविधान के भाग IV के बाहर निदेशक तत्व • मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच संघर्ष	
6.	**मौलिक कर्तव्य** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक कर्त्तव्यों की विशेषताएँ • मौलिक कर्त्तव्यों की आलोचना • मौलिक कर्त्तव्यों का महत्व • मौलिक कर्त्तव्यों पर वर्मा समिति की टिप्पणियाँ (1999)	**49**
7.	**संवैधानिक संशोधन** • संवैधानिक प्रावधान • संशोधन के प्रकार • संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • संविधान में संशोधन के ऐतिहासिक मामले • महत्त्वपूर्ण संशोधन	**52**
8.	**संविधान का मूल ढांचा** • उदभव • मूल संरचना के घटक • बुनियादी संरचना के सिद्धांत का महत्व • बुनियादी संरचना के सिद्धांत की सीमाएँ	**62**
9.	**संसदीय प्रणाली** • संवैधानिक प्रावधान • संसदीय सरकार • संसदीय सरकार की विशेषताएँ • संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर • संसदीय प्रणाली के गुण • संसदीय प्रणाली के दोष • भारतीय संसदीय प्रणाली बनाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का मॉडल	**67**
10.	**राष्ट्रपति** • संघ कार्यकारिणी • संवैधानिक प्रावधान • राष्ट्रपति का चुनाव • योग्यता • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शपथ • राष्ट्रपति कार्यालय की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार • राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग • राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति • राष्ट्रपति की शक्तियाँ	**71**
11.	**प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्** • संबंधित संवैधानिक प्रावधान • शपथ • योग्यता • कार्यकाल	**81**

	• परिलब्धियाँ • प्रधानमंत्री की शक्तियाँ • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध • केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् • संयोजन • मंत्री की नियुक्ति • मंत्रियों की शपथ • मंत्रियों का वेतन • मंत्रियों की जिम्मेदारी • किचन कैबिनेट/आंतरिक कैबिनेट • छाया मंत्रिमंडल • कैबिनेट समितियाँ • मंत्रियों के समूह	
12.	**संसद** • संवैधानिक प्रावधान • संसद की संरचना • संसद की सदस्यता • संसद के पीठासीन अधिकारी • संसद में नेता • संसद के सत्र • संसद में विधायी प्रक्रिया • सदनों की संयुक्त बैठक • संसद में बजट • केन्द्र सरकार के लिए निधियाँ • संसद की शक्तियां और कार्य • प्रशासन और सरकार पर संसदीय नियंत्रण • राज्यसभा की स्थिति • संसदीय विशेषाधिकार • संसद की संप्रभुता • संसदीय समितियाँ • संसदीय मंच (Parliamentary Forums)	**91**
13.	**संघवाद** • संघीय प्रणाली के विषय • भारतीय संघीय प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन • भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ	**134**
14.	**केन्द्र राज्य संबंध** • संवैधानिक प्रावधान • विधायी संबंध • अवशिष्ट विषय • राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान • प्रशासनिक संबंध • अखिल भारतीय सेवाएँ • लोक सेवा आयोग • वित्तीय संबंध • आपात स्थिति के प्रभाव	**138**
15.	**आपातकालीन प्रावधान** • संवैधानिक प्रावधान • राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) • राज्य आपातकाल • वित्तीय आपातकाल	**153**

	• आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना	
16.	**उच्चतम न्यायलय** • संवैधानिक प्रावधान • संयोजन • नियुक्ति • सर्वोच्च न्यायालय (महाभियोग) के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया • उच्चतम न्यायालय का स्थान • न्यायालय की स्वतंत्रता • उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां • न्यायालय की शक्तियां • उच्चतम न्यायलय के अधिवक्ता	**159**
17.	**उच्च न्यायलय** • संवैधानिक प्रावधान • इतिहास • संयोजन • नियुक्ति • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार • शक्तियां • उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता • विशेष उल्लेख	**166**
18.	**न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता** • न्यायिक समीक्षा • संवैधानिक प्रावधान • न्यायिक समीक्षा का दायरा • न्यायिक सक्रियता • जनहित याचिका	**170**
19.	**भारत निर्वाचन आयोग** • संवैधानिक प्रावधान • संयोजन • शक्तियां • कार्य • भारत निर्वाचन का महत्व	**175**
20.	**नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** • संवैधानिक प्रावधान • पद की नियुक्ति और शपथ • शक्तियां और कर्तव्य • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सार्वजनिक निगम • भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाम ब्रिटेन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक • विनोद राय (पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की सिफारिशें • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना	**178**
21.	**संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** • संवैधानिक प्रावधान • संयोजन • योग्यता • यूपीएससी के कार्य • यूपीएससी की सीमाएं	**182**

22.	**नीति आयोग** • उद्देश्य • मार्गदर्शक सिद्धांत • संयोजन • कार्य • नीति आयोग की प्रासंगिकता • चिंता और चुनौतियां • उपलब्धियाँ • सूचकांक	**186**
23.	**केन्द्रीय सतर्कता आयोग** • संरचना • नियुक्ति • कार्य • लोकपाल	**189**
24.	**केन्द्रीय सूचना आयोग** • संरचना • योग्यता • शक्तियां और कार्य	**192**
25.	**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** • उद्देश्य • संयोजन • नियुक्ति • शक्तियां और कार्य • सीमाएँ	**194**
26.	**लोकपाल और लोकायुक्त** • पृष्ठभूमि • नियुक्ति • लोकपाल के क्षेत्राधिकार • लोकपाल की शक्तियां • कार्य • लोकायुक्त की मुख्य विशेषताएं • सीमाएँ	**198**
27.	**भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका** • भारतीय राजनीति में "जाति व्यवस्था की भूमिका" • धर्म • भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव	**201**
28.	**राजनीतिक दल** • प्रकार • विभिन्न राजनीतिक विचारधारा • विश्व में दलीय व्यवस्था • राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को मान्यता • क्षेत्रीय दल	**206**
29.	**गठबंधन सरकारें** • विशेषताएं • गठबंधन सरकार के अवगुण और गुण	**209**
30.	**भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति**	**211**

	• लोकतंत्र शासन व्यवस्था के प्रकार • भारतीय लोकतंत्र के मूल्य • भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ • सुधारक उपाय • लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका • लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदम • लोकतंत्रीकरण और असमानता	
31.	**राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन** • सीमा आयोग • संसाधनों का विभाजन • रियासतों का एकीकरण • इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन • विलय प्रक्रिया • हैदराबाद • जूनागढ़ • कश्मीर • कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया? • राज्यों का पुनर्गठन • भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन • भाषाई प्रांत आयोग (या धर आयोग) • जेवीपी समिति • राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) या फजल अली आयोग: • राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: • 1956 के बाद बने नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश • शाह आयोग और हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का गठन	**217**
32.	**नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन** • नागरिक समाज • नागरिक समाज की विशेषताएं • नागरिक समाज की भूमिका • नागरिक समाज के अंग • भारत में नागरिक समाज	**228**
33.	**राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे** • जातिवाद • साम्प्रदायिकता • प्रान्तीयता • राजनीतिक दल • विभिन्न भाषायें • सामाजिक विभिन्नता • आर्थिक विभिन्नता • नेतृत्व का अभाव • आधुनिक शिक्षा • आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ • आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के उपाय • नक्सलवाद • समाधान (SAMADHAN) नीति • द्वितीय ARC द्वारा सुझाव:	**231**

1 CHAPTER संविधान सभा

कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की एक **संविधान सभा की स्थापना** का **प्रावधान** किया था।

- **कुल सदस्य** = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत
  - **296 सीटें ब्रिटिश भारत** को आवंटित की गईं।
    - **292 सदस्य** - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से
    - **4 सदस्य** - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से
  - **रियासतों** को **93** सीटें दी गईं।
- उनकी संबंधित **जनसंख्या** के **अनुपात में सीटों का** आवंटन किया गया था।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को **आवंटित सीटों** को **मुसलमानों**, **सिखों** और **जनरल** (अन्य) के बीच उनकी **जनसंख्या** के **अनुपात में विभाजित** किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के **प्रतिनिधियों का चुनाव** उस समुदाय के सदस्यों द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता था।

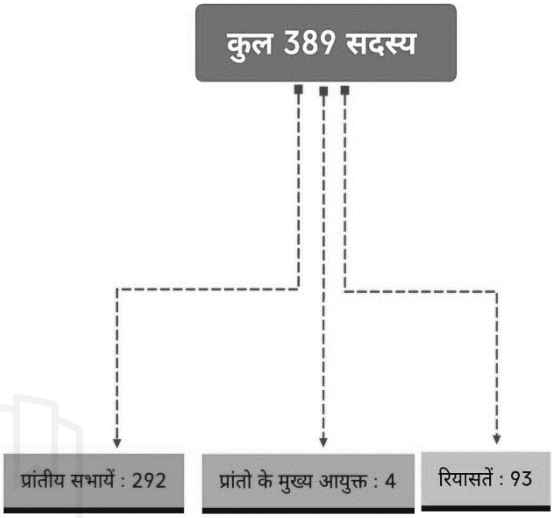

- रियासतों के प्रतिनिधियों को **देशी रियासतों** के **प्रमुखों** द्वारा **मनोनीत** किया जाता था।
- **सदस्यों** का **चुनाव अप्रत्यक्ष रूप** से प्रांतीय **विधानसभाओं** के **सदस्यों** द्वारा किया जाता था।
- **जनता** की **भावनाओं** को **प्रस्तुत नहीं** किया, क्योंकि **प्रांतीय विधानसभाओं** के सदस्य **सीमित मताधिकार** पर चुने जाते थे।
- **ब्रिटिश भारतीय प्रांतों** के लिए **चुनाव जुलाई-अगस्त**, 1946 में हुए।
  - **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने 208 सीटें जीतीं।
  - **मुस्लिम लीग** ने 73 सीटें जीती।
  - 15 सीटें **निर्दलीय** प्रतिनिधियों को मिली।
- रियासतों की **सीटें नहीं भरी** गई क्योंकि उन्होंने **खुद को विधानसभा** से अलग रखने का **निर्णय** लिया|
- सभा में समाज के **हर वर्ग के प्रतिनिधि** थे, लेकिन तत्कालीन हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- **28 अप्रैल, 1947** को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने।
- **3 जून, 1947** की **माउंटबेटन योजना** के बाद, अधिकांश रियासतों ने सभा में प्रवेश किया।
- बाद में **भारतीय अधिराज्य** से **मुस्लिम लीग भी सभा** में शामिल हो गई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- **पहली बैठक-** 9 दिसम्बर, 1946
  - केवल **21 सदस्यों** ने भाग लिया।
- **मुस्लिम** लीग ने बैठक का **बहिष्कार** किया और **पाकिस्तान** के रूप में एक अलग देश की **माँग** की।
- **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा** विधानसभा के **अस्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुने गए, (फ्रांस प्रथा की तरह)।
- **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को विधानसभा के **स्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुना गया था।
- **उपाध्यक्ष** : एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी।

उद्देश्य प्रस्ताव

- **13 दिसम्बर, 1946** को **पंण्डित जवाहर लाल नेहरू** द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया।
  - **22 जनवरी, 1947** को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा **स्वीकृत** कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
  - भारत को **स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य** घोषित किया।
  - भारत, इसमें शामिल होने वाले **ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का संघ** होगा।
- **सीमाएँ संविधान सभा द्वारा निर्धारित** की जाएँगी।
  - इसके पास **अवशिष्ट शक्तियाँ** भी होंगी और **सरकार** और **संघ** में निहित प्रशासन की **सभी शक्तियों** और **कार्यों का प्रयोग** करेगी।
  - **संप्रभु स्वतंत्र भारत** की सभी **शक्तियाँ** और **अधिकार भारत की जनता** से प्राप्त होगी।
  - **भारत** के **सभी लोगों को दिया** जाएगा:
    - न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
    - अवसर की स्थिति और कानून के समक्ष समानता;
    - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, संगति और कर्म की स्वतंत्रता।
  - दुनिया में अपना सही और **सम्मानित स्थान** प्राप्त करना और **विश्व शांति** को बढ़ावा देने और **मानव जाति** के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान देना।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के बाद परिवर्तन

- **संविधान सभा** → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से **संप्रभु निकाय** बनाया गया।
- देश के लिए **संविधान बनाने** और **सामान्य कानून** बनाने के लिए **जिम्मेदार विधायी निकाय** बन गया।
  - **संवैधानिक निकाय** के रूप में काम किया → अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
  - एक **विधायिका** के रूप में → जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने (26 नवम्बर, 1949 तक)।
- **मुस्लिम लीग** संविधान सभा से **अलग हो** गई।
  - संविधान सभा की **कुल सदस्य संख्या** 389 से घटकर **299** रह गई।
  - भारतीय प्रांतों की कुल सदस्य संख्या 296 से घटकर 229 हो गई
  - रियासतों की कुल सदस्य संख्या 93 से 70 हो गईं।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- **मई 1949** में भारत की **राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि** की।
- भारत के **राष्ट्रीय ध्वज** को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया।
- **राष्ट्रगान** को 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।
- **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को 24 जनवरी, 1950 को **भारत के पहले राष्ट्रपति** के रूप में चुना गया।
- **संविधान सभा** ने 24 जनवरी, 1950 को अपना **अंतिम सत्र** आयोजित किया लेकिन **26 जनवरी, 1950** से **1951-52** में **पहले आम चुनाव** होने तक **अंतरिम संसद** के रूप में कार्य जारी रखा।

संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	अध्यक्ष
प्रमुख समितियाँ	संघीय शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर.अंबेडकर

	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति (परामर्शदाता समिति)	सरदार पटेल
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
	राज्यों के लिये समिति (राज्यों से समझौता करने वाली)	जवाहरलाल नेहरू
	संचालन समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त एवं कर्मचारी समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
	प्रत्यायक (क्रेडेन्सियल) समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
	सदन समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	कार्य संचालन समिति	डा. के.एम. मुंशी
	राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
	संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति	एस. वरदाचारी
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों सम्बन्धी समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रांत आयोग	एस. के. डार
	प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी

प्रारूप समिति

- **29 अगस्त, 1947** को नए संविधान का **मसौदा** तैयार करने के लिए **स्थापित** की गई थी ।
- **समिति के सात सदस्य निम्न है -**
  - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर → अध्यक्ष ।
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगर ।
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ।
  - डॉ. के.एम. मुंशी ।
  - सैयद मोहम्मद सादुल्ला ।
  - एन.माधव राव (बी.एल.मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर सदस्य बनाए गए)।
  - टी.टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली) ।
- संविधान का **पहला प्रारूप** फरवरी, 1948 में तैयार किया गया ।
- **दूसरा प्रारूप** अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित हुआ ।

संविधान का प्रभाव में आना

- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने 4 नवम्बर, 1948 को **अंतिम प्रारूप** पेश किया ।
- **प्रारूप पहली बार पढ़ा** गया, पाँच दिन तक आम चर्चा हुई ।
- संविधान पर **दूसरी बार** 15 नवम्बर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ ।
- **तीसरी बा**र 14 नवम्बर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ ।
- 26 नवम्बर, 1949 (**संविधान दिवस**) को पारित किया गया ।
- 26 नवम्बर, 1949 को अपनाए गए **प्रारूप संविधान में निहित** थे – प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवम्बर, 1949 को लागू।
  - **शेष प्रावधान** 26 जनवरी, 1950 को **लागू** हुए।

- **संविधान** को **अपनाने** के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी **प्रावधान निरस्त** कर दिए गए।
- **एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट** (1949) लागू रहा ।

संविधान सभा की आलोचना

- **प्रतिनिधि निकाय नहीं** - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ ।
- एक **संप्रभु निकाय नहीं** - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- **अमेरिकी संविधान** (जिसमें केवल 4 महीने लगे) की तुलना में **संविधान को तैयार करने में अधिक समय** लगा।
- **कांग्रेस** का **प्रभुत्व** रहा ।
- **वकीलों** और **राजनेताओं** का **वर्चस्व** रहा ।
- **हिन्दुओं का वर्चस्व** रहा ।

- **एस.एन. मुखर्जी** = संविधान के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** = सुलेखक (कैलिग्राफर)
  - संविधान के मूल शब्दों को **इटैलिक शैली** में लिखा ।
- **नंद लाल बोस** और **राममनोहर सिन्हा** सहित शांति निकेतन के **कलाकारों द्वारा सुशोभित** और सजाया गया।
- **हिन्दी संस्करण की सुलेख** = वसंत कृष्ण वैद्य ।
  - **नन्द लाल बोस** द्वारा **सजाया** और प्रकाशित किया गया।
- **हाथी** = संविधान सभा का **प्रतीक।**
  - **हाथी की छवि** सभा की **मुहर** पर खुदी हुई है।
- मूल रूप से, भारत के संविधान ने " **हिन्दी भाषा** में **संविधान के आधिकारिक** पाठ" के संबंध में कोई **प्रावधान नहीं** किया।
  - **हिन्दी प्रारूप**- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-ए सम्मिलित किया।

महत्वपूर्ण तिथियाँ - संविधान सभा से संविधान तक

संविधान सभा की प्रथम बैठक	उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया	संविधान अपनाया गया	सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित	संविधान लागू हुआ और संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया
9 दिसम्बर, 1946	13 दिसम्बर, 1946	26 नवम्बर, 1949	24 जनवरी, 1950	26 जनवरी, 1950

2 CHAPTER संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- सबसे लंबा लिखित संविधान - इसमें शामिल हैं -
  - केंद्र और राज्यों व उनके अंतर्संबंधो के लिए अलग प्रावधान।
  - दुनिया के कई स्रोतों और संविधानों से लिए गये प्रावधान।

देशों	भारतीय संविधान की अन्य संविधानों से प्रेरित विशेषताएँ
ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
कनाडा	• एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था • केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना • केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति • उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार
आयरलैंड	• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
सोवियत संघ/रूस	• मौलिक कर्तव्य • प्रस्तावना में न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
ब्रिटेन	• संसदीय सरकार • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • कैबिनेट प्रणाली • परमाधिकार रिट • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदन
जापान	• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
अमेरिका	• मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना • उपराष्ट्रपति का पद
जर्मनी (वाइमर)	• आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	• भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
फ्रांस	• गणतंत्र • प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श

  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान।
  - अधिकारों की विस्तृत सूची, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और प्रशासन प्रक्रियाओं का विवरण।
  - मूल रूप से (1949) में एक प्रस्तावना, 395 लेख (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियां थीं।
  - वर्तमान (2019) में, इसमें एक प्रस्तावना, 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

- कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण -
  - कुछ हिस्सों में सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
  - कुछ संशोधनों को राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता होती है।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में- भारत अपने लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासित होता है।
- सरकार की संसदीय प्रणाली- संसद मंत्रिपरिषद के कामकाज को नियंत्रित करती है ।
  - कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है।
    - भारत के राष्ट्रपति, जो पांच साल तक पद पर बने रहते हैं, नाममात्र, नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख (कार्यकारी) होते हैं।
    - पीएम वास्तविक कार्यकारी और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं जो सामूहिक रूप से निचले सदन (लोकसभा) के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- एकल नागरिकता- संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल नागरिकता को पूरे भारत में सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है जो 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर कार्य करता है।
  - प्रत्येक भारतीय जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, किसी जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।
- स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली- कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त।
  - न्याय व्यवस्था के शीर्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जिसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
- मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत -
  - मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, लेकिन स्वयं संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के अधीन हैं और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।
  - राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन के संबंध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं और न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।
  - 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य नैतिक विवेक हैं जिनका नागरिकों को पालन करना चाहिए।
- एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ संघ- भारत विनाशकारी राज्यों के साथ एक अविनाशी संघ है। जिसका अर्थ है कि यह आपातकाल के समय एकात्मक चरित्र प्राप्त करता है।
- न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय सर्वोच्चता को संतुलित करना- न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां -

भाग	विषय - वस्तु	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसके क्षेत्र	1- 4
II	नागरिकता	5 - 11
III	मौलिक अधिकार	12 - 35
IV **IV-A**	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य	36 - 51 51(A)

V	केंद्र सरकार	52 - 151
	अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ की न्यायपालिका अध्याय V - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	52 - 78 79 - 122 123 124 - 147 148 - 151
VI	राज्य सरकारें	152 - 237
	अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय V - उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	152 153 - 167 168 - 212 213 214 - 232 233 - 237
VII	राज्यों से सम्बंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (7 वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त)	238 निरस्त
VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 - 242
IX	पंचायतें	243 - 243(O)
IX-A	नगर पालिकाएं	243(P) - 243(ZG)
IX-B	सहकारी समितियां	243(ZH) - 243(ZT)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 - 244(A)
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 - 263
	अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 - 255 256 - 263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद	264 – 300(A)
	अध्याय I - वित्त अध्याय II - ऋण लेना अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264- 291 292 -293 294- 300 300-A
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 -307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 -323
	अध्याय I - सेवाएं अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 -314 315- 323
XIV-A	अधिकरण	323(A) -323(B)
XV	निर्वाचन	324 - 329(A)
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 - 342
XVII	राजभाषा	343 -351
	अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ अध्याय III- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय IV- विशेष निदेश	343- 344 345 -347 348 -349 350 -351
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352 -360
XIX	विविध (प्रकीर्ण)	361 -367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369-392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393-395

अनुसूचियां संविधान में वे सूचियां हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

संख्या	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार (सीमाएँ)।
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियों पर भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान
	1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तीसरी अनुसूची	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
	1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वे हैं - असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।